1693

ग

स्टाम्प रुपये 78500/ विक्रय किये गये रो–हाऊस का मूल्य रुपये 8,99,000/–
14050
92550
वार्षिक लीजरेंट रुपये 6,300/–

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड इन्दौर

योजना क्रमांक 78 "अरण्य" में निर्मित रो–हाउस क्रमांक 89 का विक्रय पत्र सह–लीजडीड

45685

जावक क्रमांक : 1304

दिनांक : 16 JUL 2005

यह विक्रय पत्र सह–लीजडीड इन्दौर विकास प्राधिकारी की तरफ से संपदा अधिकारी (जिसे आगे इस अनुबंध में प्रथम पक्ष संबोधित किया गया है तथा संज्ञा में प्राधिकारी के उत्तराधिकारी का भी समावेश माना गया है) तथा क्रेता **श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलाल पिपलिया** निवासी–**109, महन्त काम्पलेक्स, 31, नार्थ यशवंतगंज, इन्दौर** (जिसे इस अनुबंध में आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है तथा इस संज्ञा में इनके उत्तराधिकारी का भी समावेश माना गया है) के मध्य निम्नानुसार निष्पादित किया जाता है :–

1. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को **योजना क्रमांक 78 "अरण्य"** में निर्मित **रो–हाऊस क्रमांक 89 सेक्टर–ए स्लाईस–1** आवंटित किया गया है । इस आवंटित **रो–हाऊस** की कीमत राशि **रुपये 8,99,000/–** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा की जा चुकी है । आवंटित **रो–हाऊस** की तल भूमि प्रथम 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित है जिसका **वार्षिक लीजरेंट रुपये 6,300/–** निर्धारित है । द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित **रो–हाऊस** की तल भूमि का चालू वर्ष का **लीजरेंट रुपये 6,300/–** प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा किया जा चुका है ।

2. यह कि, द्वितीय पक्ष को आवंटित एवं विक्रय किए जा रहे **रो–हाऊस क्रमांक 89 सेक्टर–ए स्लाईस–1 योजना क्रमांक 78 "अरण्य"** का परिमाप एवं चतु:सीमा निम्नानुसार है । सामने **8.20** मीटर, पीछे **9.30** मीटर, एक बाजु **12.00** मीटर, दूसरी बाजु **12.00** मीटर के नाप का होकर एवं साईट प्लान में दर्शित अतिरिक्त क्षेत्रफल को समाविष्ट करते हुए **रो–हाऊस का क्षेत्रफल 105.00 वर्गमीटर** है ।

सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

........2

[illegible]

	Leak	Sale 899000
[illegible] मुद्रांक शुल्क	2514=00	71920=0
[illegible] मुद्रांक शुल्क		8990=0
[illegible] मुद्रांक शुल्क		8990=0
[illegible] मुद्रांक शुल्क	123=00	
निःशुल्क मुद्रांक शुल्क		
[illegible]		
योग		92550=0

P.7.4

[illegible]

श्री हिमांशु पिता श्री कांतीलाल पिपलिया

[illegible] उप-पंजीयक किया गया।
उप-पंजीयक के कार्यालय में
तारीख............... 199
पु. क्र. [illegible]
किया गया।

P.2.4

[illegible]

21 JUL 2005

Hbiriyoliya

रो–हाऊसेस की चतु:सीमा

पूर्व मे	:	**7.50 मीटर वाईड रोड़**
पश्चिम में	:	**रो–हाऊस क्रमांक 88**
उत्तर में	:	**भूखण्ड क्रमांक 90**
दक्षिण में	:	**7.50 मीटर वाईड रोड़**

उपरोक्त **रो–हाऊस** को संलग्न मानचित्र **परिशिष्ट "अ"** के रुप में दर्शाया गया होकर उक्त परिशिष्ट इस विलेख का अंग माना जावेगा ।

3. यह कि उपरोक्त **रो–हाऊस क्रमांक 89 सेक्टर–ए स्लाईस–1 योजना क्रमांक 78 "अरण्य"** में उपरोक्त चतु:सीमा में प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित किया गया है । इस **रो–हाऊस क्रमांक 89 योजना क्रमांक 78 "अरण्य"** की कीमत **कुल रुपये 8,99,000/–** का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा कर दिया गया है ।

4. यह कि उपरोक्त कारण से यह विक्रय पत्र सह लीजडीड निष्पादित किया गया है ।

5. यह कि पूर्व में तहरीर किए गए अनुबंध के अनुसार द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष एक जून के पूर्व निर्धारित लीजरेंट **रुपये 6,300/– (अक्षरी रूपये छः हजार तीन सौ)** प्रतिवर्ष जमा करता रहेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा लगातार तीन वर्ष तक निर्धारित लीजरेंट की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को **रो–हाऊस** की तल भूमि की लीज निरस्त करने का अधिकार हो जावेगा ।

6. यह कि विक्रय किए जा रहे **रो–हाऊस** की तल भूमि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रथम 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई है । उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् लीज की अवधि 30–30 वर्ष के लिए दो बार बढ़ाने का प्रथम पक्ष को अधिकार होगा । अवधि बढ़ाते समय लीज की रकम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रथम पक्ष को अधिकार होगा ।

7. **रो–हाऊस** का उपयोग सिर्फ रहवासी उपयोग हेतु किया जावेगा । प्रत्येक **रो–हाऊस** के मध्य की दीवार कॉमन वाल है । उक्त कारण **रो–हाऊस** के मध्य की कॉमन वाल पर दोनों संबंधित आवंटितियों का संयुक्त स्वामित्व रहेगा। कॉमन वाल को नष्ट करने व क्षति पहुंचाने वाला कोई भी कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

........3

(१) बी.एल. चौहान पिता अम्बाराम चौहान
संपदा अधि. वर्ग-2, इ.वि.प्रा.
निवास - भिचोली मर्दाना
इन्दौर प्रमाणित मु.आ.क्रं. 435 दि. 22/01/04
से उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा प्राधिकृत
राजीव श्रीवास्तव - संपदा अधिकारी, इन्दौर
विकास प्राधिकरण, इन्दौर क्रं. 44 अधि प्रमाणित 2003-04

(1) श्री हिमान्शु पिता श्री मोतीलाल पिपलिया
नि० -109 महन्त काम्पलेक्स 3 नार्थ यशवंतगंज
इन्दौर

[illegible] स्वीकार करते हैं कि [illegible]
21.05.15 [illegible] लिखत का निष्पादन
किया गया था और प्रतिफल के
[illegible] ....
.... प्राप्त हो गये
....
[illegible] ....
[illegible] की बकाया रकम [illegible]
[illegible]
[illegible] ....
[illegible] के बाद प्राप्त होगी
....

(1) प्रदीप कुमार पिता मोतीलाल पिपलिया
नि० 102 पंचवटी अपार्टमेन्ट 9/2/1 यशवंत
निवास रोड इन्दौर

(2) मनोहर पिता उत्तमचन्द [illegible]
12-A स्नेह नगर इन्दौर

[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] के लिए [illegible] की गई [illegible]
[illegible] 21-7-2015
[signature]
उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त **रो–हाऊस** की बनावट, संरचना, स्थिति एवं स्तर तथा उसमें सम्मिलित क्षेत्रफल एवं सुविधाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है । अतः द्वितीय पक्ष को इस संबंध में कभी भी कोई भी शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा । इस कारण किसी भी वजह से द्वितीय पक्ष को कोई हानि हुई तो उस बाबद कभी कोई भी नुकसानी प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का द्वितीय पक्ष को अधिकार नहीं रहेगा ।

9. इन **रो–हाऊस** में जो कॉमन ड्रेनेज लाईन, पाईप आदि है उसकी सफाई रखरखाव आदि का खर्चा अनुपातिक रुप से द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा और मांगने पर निर्धारित स्थान एवं समय पर जमा करना होगा ।

10. **रो–हाऊस** की बनावट एवं संरचना में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं किया जा सकेगा । अगर यह पाया गया कि भवन की बनावट या संरचना में द्वितीय पक्ष द्वारा परिवर्तन या परिवर्धन किया गया है, तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उक्त परिवर्तन या परिवर्धन द्वितीय पक्ष के खर्चे से निकाल दें एवं भवन को वापस पूर्व की स्थिति में कर दें ।

11. लीजरेंट प्रतिवर्ष निर्धारित दिनांक के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा उसकी वसूली लेण्ड रेव्हेन्यु के एरियर के बतौर अथवा अन्य रीति से जैसा भी प्रथम पक्ष उचित समझे करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।

12. **रो–हाऊस** के संबंध में शासकीय, नगर निगम अथवा अन्य संस्था के जो भी टेक्सेस अथवा शुल्क आदि होंगे वह द्वितीय पक्ष को वहन करना होंगे ।

13. **रो–हाऊस** का हस्तांतरण किए जाने की स्थिति मे द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के कार्यालय को हस्तांतरण की तारीख से एक माह के अंदर सूचित करेगा तथा तत्समय प्रचलित नामांतरण व्यय/शुल्क का भुगतान करेगा । तब ही भवन पर हस्तांतरिती का नाम रेकॉर्ड में दर्ज किया जावेगा ।

14. मध्यप्रदेश शासन एवं प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित व्ययन नियमों/विनियम/हस्तांतरण विनियम की संपूर्ण जानकारी द्वितीय पक्ष को है तथा इनमें भविष्य में किए गए संशोधन द्वितीय पक्ष को मान्य होंगे एवं विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जावेगा ।

15. कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटिती/क्रेता **रो–हाऊस** तथा उसके परिसर के संधारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करेगा । इन्दौर विकास प्राधिकरण इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा ।

16. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन नियम 1975 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16.12.1977 को प्रकाशित हुए है, वे तथा समय–समय पर शासन अथवा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियम/विनियम/निर्देश/आदेश तथा इन नियमों, विनियमों में भविष्य में होने वाले संशोधन आवंटिती पर बंधनकारक होंगे और उनका पालन करना होगा ।

.........4

सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

बी.एल. चौहान पिता अम्बाराम चौहान
संपदा अधि. वर्ग-2, इ.वि.प्रा.
निवास - भिचोली मर्दाना
इन्दौर प्रमाणित मु.आ.क्रं. 435 दि. 22/01/04
से उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा प्राधिकृत
राजीव श्रीवास्तव - संपदा अधिकारी, इन्दौर
विकास प्राधिकरण, इन्दौर क्रं. 44 अधि प्रमाणित 2003-04

21 JUL 2005

21 JUL 2005

(मध्य-प्रदेश)

17. किसी भी कारण से आवंटन निरस्त होने पर **रो–हाऊस** का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्ण तरीके से आवंटिती द्वारा प्राधिकारी के सुपुर्द करना होगा ।

18. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर **रो–हाऊस** की तल भूमि की लीज समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष इन्दौर विकास प्राधिकारी को रहेगा जिसके होने वाले समस्त परिणामों का उत्तरदायित्व आवंटिती/क्रेता का होगा ।

यह विक्रय पत्र सह–लीजडीड उभय पक्षों के बीच स्वस्थ बुद्धि की अवस्था में स्वेच्छा से संपादित किया गया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरुरत काम आवें ।

संलग्न : परिशिष्ट "अ" मानचित्र

गवाह :–

1. प्रदीप पिपलीया पिता कांतिलाल
102, पंचवटी अपा.
9/2/1, यशवंत निवास रोड
इन्दौर

लीजगृहिता/क्रेता

2. मनोहर कुनमचंद जी [illegible]
12-A [illegible] इन्दौर

निष्पादक/लीजदाता/विक्रेता

सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

इन्दौर (म. प्र.)

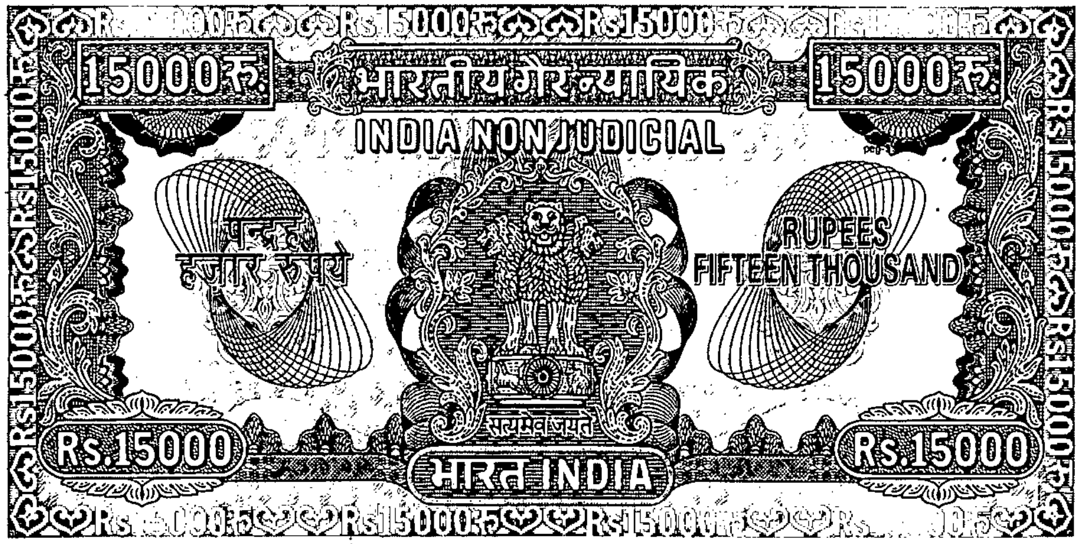

04BB 105270

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

-------[illegible]

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महं[illegible] काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

----[illegible]

7356 से 7364 तक

$\frac{15000}{1}$

15/7/07

$\frac{15000}{5} + \frac{1500}{3} + \frac{500}{1} = 78500$

~~क्रेता~~ श्री दिनेश पि. श्री मोतीलाल पिपलिया नि. 31, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर.

~~विक्रेता~~ इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर नगर तेज [illegible] इन्दौर

क्रेता दिनेश

स्टाम्प वेंडर

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

04BB 105271

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

7357
15/7/05

1500/2

पूर्व पृष्ठ से संलग्न

15 JUL 2005

त्रिवेदी शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

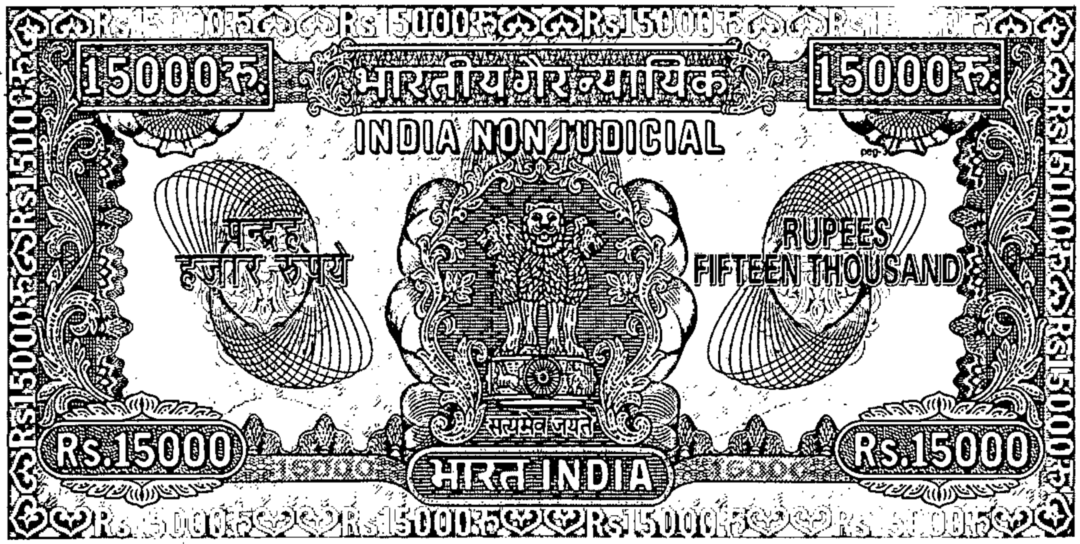

04BB 105272

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

[illegible] पृष्ठ से संलग्न

जिला कोषालय, इंदौर
15 JUL 2005
[illegible]

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

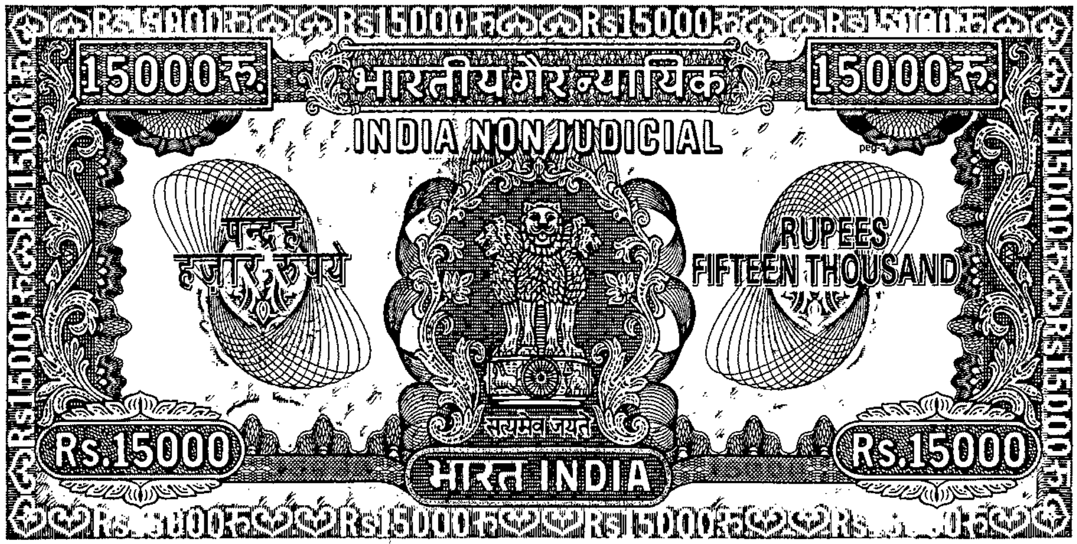

04BB 105273

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

7359
15/7/05

1500/4

जिला कोषालय, उज्जैन
15 JUL 2005
सहा. कोषालय अधिकारी

स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

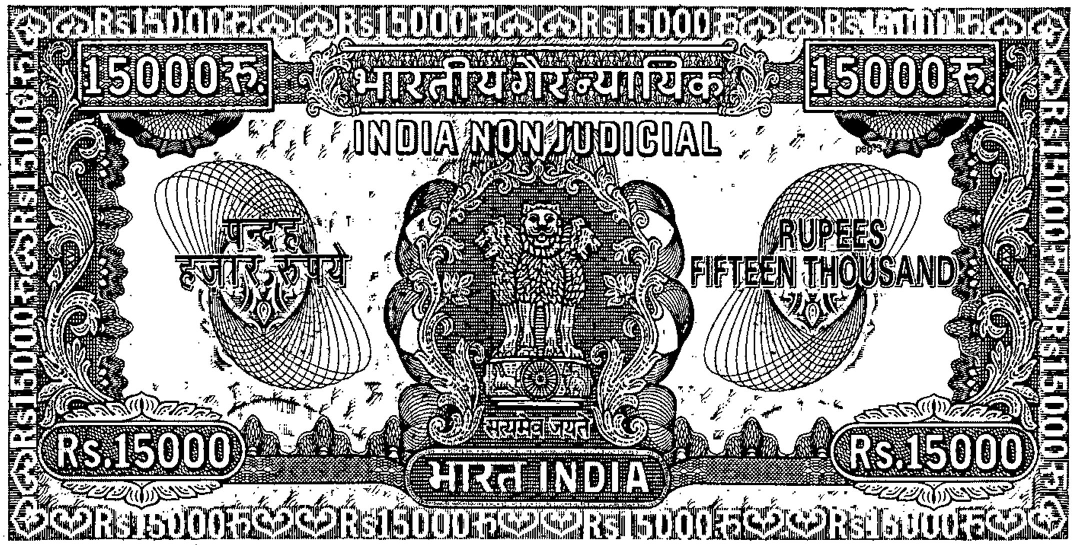

04BB 105274

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

282331

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

282332

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

7362
15/7/05

100/2

1793-D, [illegible]

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 282333

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्त काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
पता-७, रेसकोर्स रोड इन्दौर

---और---

श्री हिमान्शु पिता श्री कांतिलालजी पिपलिया,
निवासी १०९, महन्द्र काम्पलेक्स, ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर

7364
15/7/05

500
1

008905

जिला कोषालय, इंदौर
11 2005

विवेक शर्मा
[illegible]
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर.

(मध्य प्रदेश) इन्दौर
Madhya Pradesh-Indore
Office of the Sub-Registrar

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

03AA 701585

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र.

Himpaliya

8053 से 8062 तक
18/7/05

10000/1

10000/1 + 1000/4 + 10/5 = 14050

~~हे: श्री दिनेश पि- श्री कांतिलाल पिपलिया नि 31, [illegible] इन्दौर~~

~~हे इन्दौर [illegible] इन्दौर [illegible] इन्दौर~~

[signature] [signature]

15 2005

विवेक शर्मा
Collector
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर.

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

282946

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र.

8054
18/7/15

1500
1

... पृष्ठ से संलग्न

विवेक शर्मा
[illegible] वेंडर
1723-[illegible] [illegible] नगर, इन्दौर

1000Rs.

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 282947

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमांशु पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 282948

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१, नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

8056
18/7/05

1500
3

विवेक शर्मा
एडवोकेट
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर,

1000Rs.

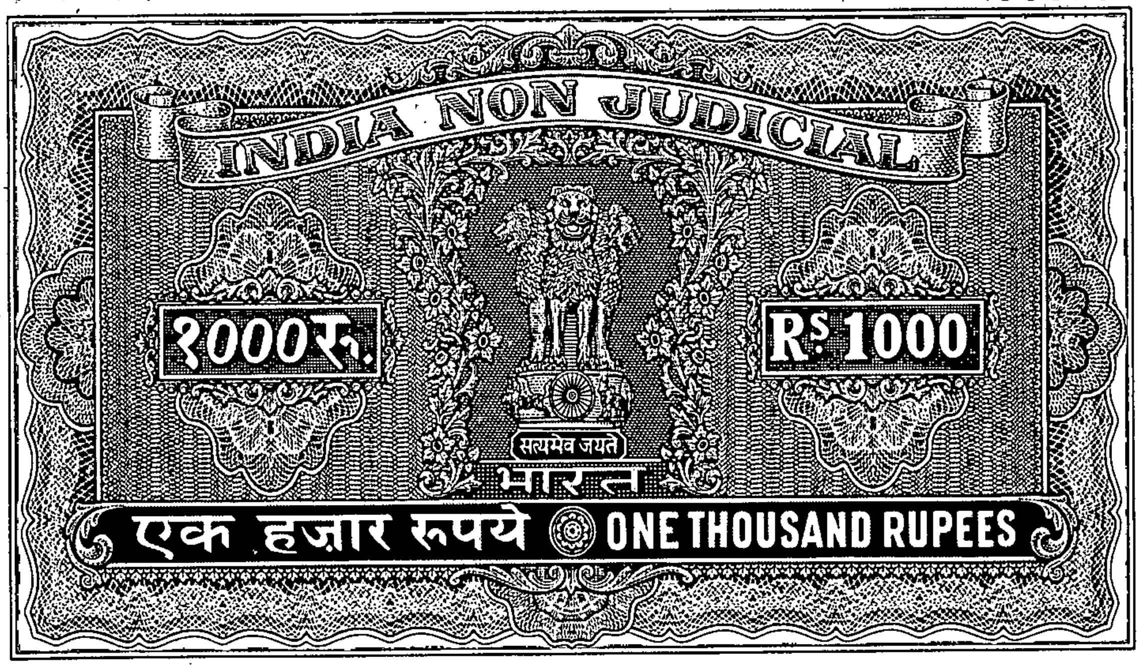

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

282949

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमांशु पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र.

8057
18/7/15

100
7.

विवेक शर्मा
वेंडर
1793-D, ... नगर, इन्दौर

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 01AA 188421

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 01AA 188422

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमांशु पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 01AA 188423

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यंशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 01AA 188424

इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर,
७, रेसकोर्स रोड इन्दौर म.प्र.

---और---

हिमाशुं पिता श्री कांतिलाल पिपलिया,
निवासी ३१,नार्थ यशवंतगंज इन्दौर म.प्र .

Himanshu [signature]

1693 रसीद दस्तावेज वगैरह 1874 37

दफ्तर .... मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
—		9348=00	

तारीख ....   उप-पंजीयक

21 JUL 2005

-5-

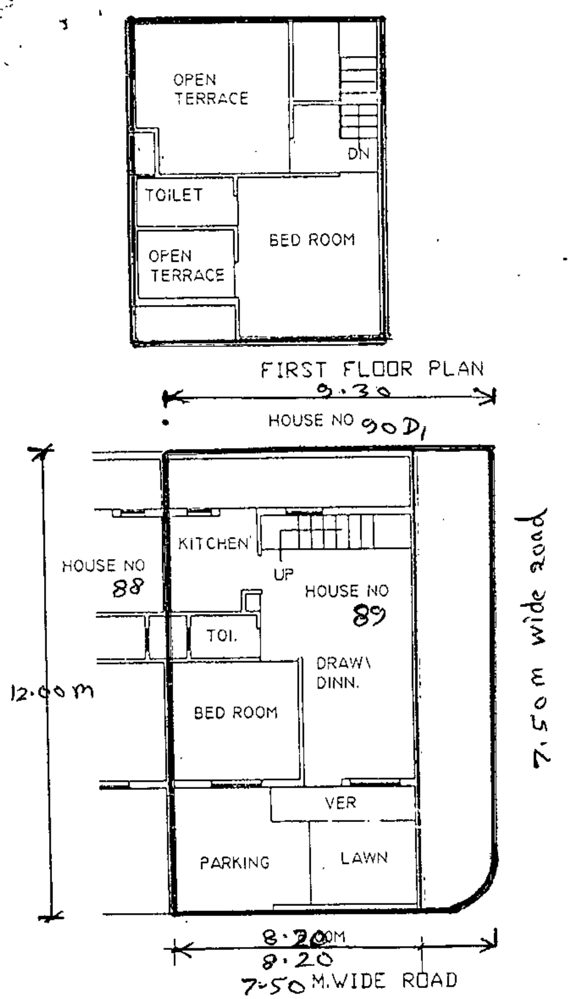

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY, INDORE

7 Race Cource Road , Indore

HOUSE NO.	89
TYPE	L5
SECTOR.	A
SLICE NO.	1
SCHEME NO.	78 ARANYA, INDORE
PLOT AREA	105.00 —
BUILT UP ON G.L.	46.16 m^2
BUILT UP ON F.F.	2 6.16 m^2
Total	72.32 m^2

BUILDING PERMISSION AS PER M. P. BHUMI VIKAS NIYAM 1984

LESSEE : श्री हिमान्शु पिता कांतीलाल पिपलिया
109, महल कम्पलेक्स, 31, नार्थ यशवन्तगंज
इन्दौर (म०प्र०)

Hiripaliya

PROPERTY SHOWN AS

SUB.ENGINEER	ASSTT.ENGINEER	ESTATE OFFICER
	उपयंत्री	सम्पदा अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर